राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 21.05.2015 को सूडा सभागार में अपराहन 12:00 बजे आयोजित "सातवीं" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
4. श्री यतीन्द्र मोहन, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. रीना सिंह, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
6. श्रीमती अजन्ता देवी, सीनियर रिसर्च आफिसर, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री कृपा शंकर शुक्ला, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. श्री अरूण कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
9. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, डीजीएम हडको, लखनऊ।
10. श्री अरूण कुमार राना, ए0जी0एम0 हडको, लखनऊ।
11. श्री हरि राम, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
12. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
15. श्री तेज कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा–गोरखपुर।
16. श्री एस0के0 श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, डूडा– कन्नौज।
17. श्री बी0डी0 भट्ट, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पालिका परिषद–कन्नौज।
18. लायक सिंह, आर्किटेक्ट।
19. श्री एस0पी0 गुप्ता, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–19।
20. श्री संजय पथरिया, परियोजना अधिकारी, डूडा– जालौन।
21. श्री कमलेन्द्र नाथ गुप्ता, सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा–वाराणसी।
22. श्री के0 पी0 सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा–वाराणसी।
23. श्री आर0पी0 सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा– मेरठ।
24. श्री राघवेन्द्र वर्मा, सिविल इंजीनियर, विजन आर्किटेक्ट, लखनऊ।
25. श्री रंजन शुक्ला, आर्किटेक्ट, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, विजन आर्किटेक्ट।
26. श्री जे0के0 सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट–50, सी0एण्ड डी0एस0।
27. श्री अजय बघेल, लेखाकार, डूडा–एटा।
28. श्री रजनीश कुमार, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–46
29. श्री राकेश कुमार, आर्किटेक्चर।
30. श्री अतुल यादव, परियोजना अधिकारी, डूडा– फर्रूखाबाद।
31. मो0 अबरार, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 झांसी।
32. श्री आर0के शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–43, फर्रूखाबाद।
33. श्री राम नरेश, अपर सांख्यिकी अधिकारी।

34. श्री केशव प्रसाद, सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, नगर निगम–झांसी।
35. श्री आर0पी0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सूडा, लखनऊ।
36. श्री मो0 तैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
37. श्री वी0एन0 त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ0प्र0।
38. श्री के0 एन0 शुक्ला, लिपिक, सूडा।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–1</u>

2. परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय" योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में सघन समीक्षा की जा रही है। प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत इस योजना पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन हो सके तथा शहरी बेघरों को आधार भूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में शहरी बेघरों के हुए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क्रियान्वयन हेतु चयनित शहरों में 1.36 लाख शहरी बेघर पाये गये है जबकि वर्तमान में नगर निकायों द्वारा संचालित शेल्टर्स एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) में निर्माण हेतु विगत में स्वीकृत परियोजनाओं को सम्मिलित करने के उपरान्त लगभग 10500 शहरी बेघरों हेतु ही आश्रय की व्यवस्था हो पायेगी। तत्क्रम में आज की प्रस्तावित 11 परियोजनाओं में 960 शहरी बेघरों के आश्रय का प्रस्ताव है। इस प्रकार अभी भी प्रदेश में काफी अधिक संख्या में शहरी बेघों हेतु व्यवस्था की जानी है। जिस पर सभी को विशेष ध्यान देना है तथा बड़े शहरों द्वारा त्वरित गति परियोजनाएं तैयार कराकर स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जाय।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–2</u>

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2984/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक– 26.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जनपदों/शहरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अप्रेजल हेतु गठित "एप्रेजल समिति" द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षो हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उरई–जालौन	नया निर्माण	100	215.86	224.95	60.00	284.95	G+1
2	झांसी							
	i) ददियापुरा	नया निर्माण	100	225.47	221.63	60.00	281.63	G+1
	ii) लहर गिर्द	नया निर्माण	100	224.12	220.29	60.00	280.29	G+1
	योग	2 नया निर्माण	200	449.59	441.92	120.00	561.92	

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	गोरखपुर– लच्छी टोला	नया निर्माण	70	161.24	178.80	40.00	218.80	G+2
4	फर्रुखाबाद	नया निर्माण	100	217.99	217.55	60.00	277.55	G+1
5	कन्नौज	नया निर्माण	50	148.16	148.02	27.60	175.62	G+2
6	एटा	नया निर्माण	70	181.86	176.58	40.00	216.58	G+2
7	मेरठ							
	मुकुट महल	नया निर्माण	100	251.87	267.70	60.00	327.70	G+1
	बरल परतारपुर	नया निर्माण	70	142.81	178.02	40.00	218.02	G+2
	रोहता रोड	नया निर्माण	100	182.53	227.51	60.00	287.51	G+2
	गढ़ रोड	नया निर्माण	100	183.52	228.18	60.00	288.18	G+2
	योग	4 नया निर्माण	370	760.73	901.41	220.00	1121.41	

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–3</u>

<u>अलीगढ़</u>

विगत दिनांक 28.11.2014 को राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या 3357/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 16.12.2014 के द्वारा अलीगढ़ हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रू0 312.30 (**निर्माण लागत रू0 282.33** एवं 05 वर्षो हेतु **संचालन व्यवस्था रू0 29.97 लाख**) के **Soil Testing में भराव की मिट्टी मिलने के कारण संशोधित प्रस्ताव लागत रू0 417.63 लाख (निर्माण लागत रू0 357.63 लाख एवं 05 वर्षो हेतु संचालन व्यवस्था रू0 60.00 लाख) पर विचार कर संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–**

क्र सं	पूर्व स्वीकृत का विवरण				संशोधित प्रस्ताव			शेल्टर होम का विवरण	संशोधन का कारण
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3357/241/NULM/तीन 2001 (SUH) दिनांक 16.12.14 (बैठक तिथि) 28.11.14	282.33	29.97	312.30	357.63	60.00	417.63	नया निर्माण (G+1) 100 शहरी बेघरों हेतु	1. Soil investigation में 6 मी0 तक भराव की मिट्टी पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित। 2 O&M हेतु भारत सरकार से 50 शहरी बेघरों के शेल्टर संचालन के लिए 05 वर्षो हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 30.00 लाख को अधिक संख्या वाले शेल्टर हेतु अनुपातिक आधार पर वृद्धि अनुमन्य किये जाने के कारण।

उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित नगर निकायों एवं कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया:–

3.1.1 उरई–जालौन

3.1.1.1 उरई नगरीय निकाय, जनपद–जालौन के प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि जालौन की जनसंख्या 1.90 लाख है। परन्तु निकाय में वर्तमान में कोई स्थाई शेल्टर होम नहीं है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 317 शहरी बेघर पाये गये थे।

3.1.1.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण की परियोजना लागत रू0 284.95 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 224.95 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.1.1.3 नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम लहरियापुरवा–जालौन में प्रस्तावित किया गया है, जो कि स्थानीय बस स्टॉप से 1.00 किमी0, रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किमी0 की दूरी पर है।

3.1.1.4 प्रस्तावित स्थल के आस–पास काफी संख्या में रिक्शा चालक, आटो ड्राइवर एवं अन्य श्रमिक निवास करते हैं।

3.1.1.5 प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें लोकेशन, प्रति शहरी बेघर स्थल का मानक एवं अन्य सुविधायें मानकों के अनुरूप है।

3.1.1.6 निकाय में बढ़ते शहरीकरण एवं काफी संख्या में आस–पास के क्षेत्रों से लोगों के रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु शहर में आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है, जिसके दृष्टिगत 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

3.1.1.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.1.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, सुविधाएं, उद्देश्य, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

3.1.1.9 अवगत कराया गया कि प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.1.10 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ एवं बार चार्ट संलग्न है।

3.1.1.11 प्रस्ताव में स्थल आवंटन का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

3.1.1.12 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.1.1.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय उरई–जालौन से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 224.95 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा

उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवगुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) शेल्टर होम हेतु प्राप्त स्थल का आवंटन प्रमाण पत्र एवं 5 वर्षों उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा उरई–जालौन निकाय हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.2 झांसी

3.2.1 झांसी नगर हेतु नये शेल्टर की दो परियोजनाएं प्रस्तुत करते हुए निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड मण्डल का मुख्य शहर झांसी है, जहां आस पास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग रोजगार आदि कार्यों हेतु आते हैं।

3.2.2 अवगत कराया गया कि झांसी नगर निगम की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 5.16 लाख है तथा झांसी में दक्षिण भारत जाने हेतु रेलवे मार्ग का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने के कारण काफी संख्या में लोगों को दक्षिण भारत जाने हेतु यहां आना पड़ता है तथा उन्हें झांसी में आश्रय की समस्या होती है।

3.2.3 वर्तमान में झांसी नगर में 150 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु नगर निगम द्वारा आश्रय गृह संचालित किये जा रहे है, जबकि झांसी नगर में विगत माहों में कराये गये सर्वेक्षण में 464 शहरी बेघर पाये गये हैं।

3.2.4 शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 2 स्थलों पर 100-100 शहरी बेघरों हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

3.2.2 लहर गिर्द–

3.2.2.1 झांसी नगर के लहर गिर्द में शेल्टर हेतु प्रस्तावित स्थल स्थानीय बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन के लगभग 2-3 किमी की दूरी है। उक्त प्रस्तावित स्थल के निकट लगभग आधा किमी0 की दूरी पर अस्पताल है, जहां काफी संख्या में मरीज आते हैं, जिनके तीमारदारों को आश्रय की समस्या होती है।

3.2.2.2 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के समीप काफी संख्या में रिक्शा चालक एवं श्रमिक रहते हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

3.2.2.3 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 280.29 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 220.29 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.2.2.4 प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.2.2.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्रावलन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, सुविधाएं, उद्देश्य, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

3.2.2.6 अवगत कराया गया कि उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.2.2.7 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है।

3.2.2.8 प्रस्ताव में स्थल आवंटन का प्रमाण पत्र एवं निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.2.2.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त झांसी के लहर गिर्द से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 220.29 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन ऐवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) शेल्टर होम हेतु प्राप्त स्थल का आवंटन प्रमाण पत्र एवं 5 वर्षों उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ झांसी नगर स्थित लहर गिर्द से 100 शहरी बेघरों हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.2.3 ददियापुरा

3.2.3.1 ददियापुरा झांसी नगर में 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित स्थल से रेलवे स्टेशन 3.4 किमी की दूरी पर है, बस स्टॉप 2 किमी0 की दूरी पर है, परन्तु प्रस्तावित स्थल के समीप काफी संख्या में शहरी बेघर आश्रय लेते हैं तथा प्रस्तावित स्थल से शहर के सभी मुख्य व्यवसायिक केन्द्रों, बाजारों, रेलवे स्टेशन आदि हेतु सार्वजनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.2.3.2 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत परियोजना लागत रू0 281.63 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 221.63 लाख तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.2.3.3 उक्त शेल्टर होम के नजदीक मुर्गा, मछली एवं सब्जी मार्केट हैं, जहां काफी संख्या में शहरी बेघर रोजगार हेतु आते हैं। जिन्हें आश्रय की समस्या होती है, जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर शेल्टर होम का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

3.2.3.4 ददियापुरा झांसी हेतु प्रस्तुत किये गये उल्लिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है।

प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.2.3.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, सुविधाएं, उद्देश्य, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

3.2.3.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.2.3.7 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है।

3.2.3.8 प्रस्ताव में स्थल आवंटन का प्रमाण पत्र एवं शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.2.3.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त झांसी के ददियापुरा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 221.63 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तारदायित्व आदि) का विवरण के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण एवं संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) शेल्टर होम हेतु प्राप्त स्थल का आवंटन प्रमाण पत्र एवं 5 वर्षों उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ झांसी नगर स्थित ददियापुरा से 100 शहरी बेघरों हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.3.4 **गोरखपुर**

3.3.4.1 नगर निगम गोरखपुर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 6.73 लाख है।

3.3.4.2 गोरखपुर हेतु प्रस्तावित 70 शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना की लागत रू0 218.80 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 178.80 लाख एवं 5 वर्षों के लिए संचालन व्यवस्था हेतु रू0 40.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.3.4.2 अवगत कराया गया है कि गोरखपुर नगर पूर्वांचल क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर है। जहां आस–पास के जनपदों एवं क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग रोजगार शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न कार्यो हेतु आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या का सामना करना पड़ता है।

3.3.4.3 गोरखपुर नगर में वर्तमान में 140 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु 07 स्थाई शेल्टर होम संचालित किये जा रहे हैं, जो कि शहर में विभिन्न स्थलों पर आश्रय लेने वाले शहरी बेघरों के अनुपात में क्षमता काफी कम है, जिसके दृष्टिगत 70 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्रस्तावित योजना दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।

3.3.4.4 प्रस्तावित शेल्टर होम रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किमी0, बस स्टॉप से 2 किमी0 एवं 500 मीटर की दूरी पर इफ्को एवं जालान स्टील फैक्ट्री है, जहां काफी संख्या में श्रमिक रोजगार आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें आश्रय की समस्या होती है। गोरखनाथ मन्दिर प्रस्तावित स्थल से लगभग 1.5 किमी0 की दूरी पर स्थित है। गोरखनाथ मन्दिर के पास वर्ष में कई मेले का आयोजन किया जाता हैं, जिसमें से खिचड़ी मेला महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है, जिसमें 15–20 जनपदों के श्रद्धालु आते हैं। उक्त प्रस्तावित स्थल से 0.5 किमी0 की दूरी पर अस्पताल है। इस प्रकार प्रस्तावित स्थल शहरी बेघरों के लिए उपयुक्त स्थल है।

3.3.4.5 प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.3.4.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, आवश्यकता आंकलन, शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस आदि का उल्लेख किया गया है।

3.3.4.7 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.3.4.8 निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.3.4.9 प्रस्ताव में 5 वर्ष के उपरान्त नगर निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

3.3.4.10 नगर आयुक्त नगर निगम के पत्र सं0–531/डूडा/2014–2015, दिनांक 16.03.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय के सीमान्तर्गत स्थित भूमि जो कि मुहल्ला लच्छीपुर टोला, विकास नगर वार्ड सं0–53 में आराजी सं0–13 रकबा 29 डिसमील यानि 12644 वर्गफिट उक्त भूमि आश्रय स्थल के निर्माण हेतु दी जाती है।

3.3.4.11 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न है।

3.3.4.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय गोरखपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 178.80 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट एवं फार्म–जे पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ गोरखपुर में 70 शहरी बेघरों हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.4.5 फर्रूखाबाद

3.4.5.1 नगर पालिका परिषद फर्रूखाबाद हेतु प्रस्तावित आश्रय नये निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 2.77 लाख है।

3.4.5.2 फर्रूखाबाद शहर में शहरी बेघरों हेतु वर्तमान में कोई स्थायी शेल्टर होम नहीं है, जबकि जनगणना 2011 में 355 शहरी बेघरों की जनसंख्या पायी गयी थी एवं विगत माहों में नगरीय निकाय द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 620 शहरी बेघर पाये गये हैं, जिनको आश्रय उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 100 शहरी बेघरों की क्षमता वाले शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

3.4.5.3 अवगत कराया गया कि नया शेल्टर होम (G+1) की प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 277.55 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 217.55 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.4.5.4 अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय एक प्रगतिशील निकाय है जहां नित्य काफी संख्या में आस–पास के लोग रोजगार आदि हेतु आते है तथा छोटी निकाय होने के कारण आश्रय की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण आश्रय लेने में कठिनाई होती है।

3.4.5.5 प्रस्तावित आश्रय जिला चिकित्सालय में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे काफी संख्या में मरीज के तीमरदारों को आश्रय की समस्या का समाधान होगा। अस्पताल के समीप शहर का मार्केट होने के कारण काफी संख्या में रिक्शा चालक, दैनिक कारोबारी, श्रमिक जो आस पास के क्षेत्रों से आते हैं, को भी आश्रय की समस्या होती है। उक्त समस्या समाधान हेतु जिला चिकित्सालय में शेल्टर होम निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे तीमरदारों एवं रिक्शा चालक एवं श्रमिक आदि को आश्रय की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

3.4.5.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.4.5.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, शहर प्रोफाइल, आवश्यकता आंकलन, संचालन एवं प्रबन्धन, संचालन रणनीति, आश्रय का प्रकार एवं व्यवस्था, सेवाएं एवं सुविधाएं, उद्देश्य, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

3.4.5.8 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.4.5.9 प्रस्ताव में कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ संलग्न प्रस्ताव में नहीं है जो कि व्यवहारिक दृष्टि से लगाया जाना उपयोगी है।

3.4.5.10 प्रस्ताव में स्थल आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी फरूखाबाद के पत्र सं0–मु. चि.अ./डूडा/NULM/2014–15/4188 दिनांक 09.01.2015 के द्वारा उल्लिखित है कि आश्रय निर्माण हेतु वांछित भूमि पुराने जिला चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध है, जिसमें आश्रय निर्माण किया जा सकता है।

3.4.5.11 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.4.5.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय फर्रूखाबाद से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:-**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 217.55 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई, नगर पालिका परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) शेल्टर होम हेतु प्राप्त स्थल का आवंटन प्रमाण पत्र एवं 5 वर्षों उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा फर्रूखाबाद हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.5.6 कन्नौज

3.5.6.1 नगर पालिका परिषद कन्नौज हेतु प्रस्तावित आश्रय नये निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 0.85 लाख है।

3.5.6.2 अवगत कराया गया कि 50 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर होम (G+2) हेतु प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 175.62 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 148.02 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 27.60 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.5.6.3 अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय एक प्रगतिशील निकाय है जहां नित्य काफी संख्या में आस–पास के लोग रोजगार आदि हेतु आते है तथा छोटी निकाय होने के कारण आश्रय की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण आश्रय लेने में कठिनाई होती है।

3.5.6.4 प्रस्तावित आश्रय विनोद दीक्षित जिला चिकित्सालय में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे काफी संख्या में मरीज के तीमरदारों को आश्रय की समस्या का समाधान होगा।

3.5.6.5 प्रस्तावित स्थल के अस्पताल प्रांगण में होने के साथ ही समीप में मार्केट होने के कारण काफी संख्या में रिक्शा चालक दैनिक कारोबारी, एवं मरीजों के तीमारदार जो आस पास के क्षेत्रों से आते हैं, को आश्रय की समस्या समाधान के दृष्टिगत उक्त शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

3.5.6.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.5.6.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, शहर प्रोफाइल, आवश्यकता आंकलन, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस आदि का उल्लेख किया गया है।

3.5.6.8 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.5.6.9 निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.5.6.10 प्रस्ताव में 5 वर्ष के उपरान्त नगर निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

3.5.6.11 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो कि व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है।

3.5.6.12 प्रस्तावित शेल्टर के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित विवरण में उल्लेख है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज द्वारा उक्त परिसर में निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है।

3.5.6.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय कन्नौज से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 148.02 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय

हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़) 5 वर्षों उपरान्त निर्मित किये जाने वाले शेल्टर•होम का संचालन नगरीय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये जाने का प्रमाण पत्र, प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ, निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा कन्नौज हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.6.7 एटा

3.6.7.1 नगर पालिका परिषद एटा नगर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 1.18 लाख है।

3.6.7.2 अवगत कराया गया कि वर्तमान में एटा शहर में कोई शेल्टर होम नहीं है जबकि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 173 एवं विगत में निकाय द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 53 शहरी बेघर पाये गये हैं।

3.6.7.3 अवगत कराया गया कि 70 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण की प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 216.58 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 176.58 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 40.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.6.7.4 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल से जिला चिकित्सालय 1.5 किमी की दूरी पर है, जहां रिक्शा चालक आदि आस–पास खुले में रात्रि निवास करते हैं तथा आस–पास के क्षेत्रों से लोग भी रोजगार हेतु आते हैं जिन्हें आश्रय की समस्या होती है, उक्त शहरी बेघरों की समस्या समाधान हेतु शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित किया गया।

3.6.7.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.6.7.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, आश्रय की आवश्यकता, शहर प्रोफाइल, आश्रय का प्रबंधन एवं कार्य प्रणाली संचालन व्यवस्था, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.6.7.7 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.6.7.8 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एटा द्वारा पत्र संख्या 3182 दिनांक 03.02.15 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि "रैन बसेरा" महता पार्क के किनारे में उपलब्ध रिक्त स्थान पर बनाया जा सकता है। प्रस्तावित भूमि 5000 वर्गफुट का मानचित्र प्रस्ताव–के साथ में संलग्न किया गया है।

3.6.7.9 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.6.7.10 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षो उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.6.7.11 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय–एटा से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 176.58 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय

हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्माण कार्य से पूर्व स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ङ) निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य के समय शेल्टर होम में वेन्टीलेशन की सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा किचेन में पर्याप्त खिड़की की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(च) निर्देश दिये गये कि शेल्टर होम के किचेन के ऊपर शौचालय निर्माण न कर अन्य स्थलों पर किये जायें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की लीकेज आदि की समस्या होने पर विषम परिस्थितियों से बचा जा सकता है। कार्यदायी संस्था तद्नुसार डिजाइन में भी संशोधन करना सुनिश्चित करेगी।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एटा हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7 मेरठ

3.7.1 नगर निगम मेरठ हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में नगर निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मेरठ नगर की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 13.05 लाख है।

3.7.2 मेरठ नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 12 शेल्टर्स 10–10 शहरी बेघरों की क्षमता वाले संचालित है जिसमें कुल 120 शहरी बेघरों के आश्रय की क्षमता है।

3.7.3 प्रस्तावित शेल्टर निर्माण के मेरठ के मुकुट महल, बरल परतारपुर, रोहता रोड, एवं गढ़ रोड प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण निकाय प्रतिनिधि द्वारा करते हुए अवगत कराया गया कि सभी प्रस्तावित स्थल शहरी बेघरों हेतु उप्युक्त स्थल है, जहां आस–पास के क्षेत्रों में काफी संख्या में शहरी बेघरों के आश्रय की समस्या का समाधान होगा।

3.7.4 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि सभी चारों प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अन्तःवासी हेतु 50 वर्गफिट स्थान के मानक के अनुरुप डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

3.7.5 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि निर्मित किये जाने वाले सभी शेल्टर होम में सभी श्रेणी के पुरूषों, महिलाओं, वृद्ध तथा विकलांगों तथा फैमिली आश्रय की अलग–अलग व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित शेल्टर्स में मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शौचालय, बाथरूम का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। उक्त के साथ ही स्टोर रूम, किचेन, लाइब्रेरी का भी प्राविधान प्रस्तावित है।

3.7.6 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सभी आश्रयों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फस्ट एण्ड वाक्स, लाइब्रेरी, खुली जगह, शिशु एवं मातृत्व कल्याण की सेवाओं के साथ ही अन्य इनटाइटिलमेंटस के लिंकेजेज हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.7.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में आश्रयविहीन लोगों के इन्टाइटिलमेंट लिंकिजेज हेतु समन्वय आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3.7.8 मुकुट महल

3.7.8.1 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम मेरठ– दिल्ली रोड पर मुकुट बैंकुएट हाल क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित स्थल के समीप ही फल एवं सब्जी मण्डी है, जहां काफी संख्या में श्रमिक एवं दैनिक सब्जी विक्रेता आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें आश्रय की समस्या होती है, जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर प्रस्तावित किया गया है।

3.7.8.2 प्रस्तावित स्थल से सभी मुख्य स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3.7.8.3 अवगत कराया गया कि 100 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण की परियोजना लागत रू0 327.70 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 267.70 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.7.8.4 प्रस्तावित स्थल के समीप सब्जी मण्डी स्थित है, जहां काफी संख्या में दैनिक श्रमिक एवं छोटे कारोबारी अपना रोजगार करते हैं, एवं आस–पास के रोड के किनारे एवं दुकानों के चबूतरों पर लोग आश्रय लेते हैं।

3.7.8.5 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.8.6 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.7.8.7 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.7.8.8 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.7.8.9 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.7.8.10 शेल्टर हेतु प्रस्तावित स्थल आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्रांक 1210/आ0लि0. न0आ0–2014 दिनांक– 31.01.2015 द्वारा परियोजना अधिकारी डूडा को सम्बोधित पत्र के द्वारा नोट शीट की प्रति में स्थल चयन का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जो डी0पी0आर0 में संलग्न है।

3.7.8.11 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मेरठ के मुकुट महल से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 267.70 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना बार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मेरठ मुकुट महल पर नये आश्रय निर्माण की परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7.9 बरल–परतारपुर

3.7.9.1 नगर निगम मेरठ–बरल परतारपुर हेतु प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि मेरठ–बरल परतारपुर हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम मुख्य हाईवे मार्ग पर प्रस्तावित है, जिसके समीप मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज है जहां काफी संख्या में रिक्शा चालक, दैनिक छोटे कारोबारी, फल, सब्जी एवं ठेले वाले शहरी बेघर आस–पास की दुकानों के चबूतरों, खुले में आश्रय लेते हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर 70 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

3.7.9.2 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नये शेल्टर होम की निर्माण परियोजना लागत रू0 218.02 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 178.02 तथा 5 वर्षो के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 40.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.7.9.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के समीप होने के दृष्टिगति काफी संख्या में लोग इलाज हेतु आस–पास के क्षेत्रों से आते हैं। जिन्हें प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण से आश्रय की सुविधा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

3.7.9.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.9.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.7.9.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.7.9.7 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.7.9.8 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.7.9.9 शेल्टर हेतु प्रस्तावित स्थल आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्रांक 1210/आ0लि0. न0आ0–2014 दिनांक– 31.01.2015 द्वारा परियोजना अधिकारी डूडा को सम्बोधित पत्र के द्वारा नोट शीट की प्रति में स्थल चयन का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जो डी0पी0आर0 में संलग्न है।

3.7.9.12 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मेरठ के बरल परतारपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षो के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 178.02 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर

निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षो उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र निर्माण कार्य से पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

उक्त शर्तो के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ मेरठ बरल परतारपुर से प्राप्त 70 शहरी बेघरों की प्रस्तावित परियोजना पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7.10 मेरठ – रोहता रोड

3.7.10.1 नगर निगम मेरठ के रोहता रोड पर 100 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से 1.5 किमी0 की दूरी पर उप्युक्त स्थल है, जहां पर काफी संख्या में रिक्शा चालक, दैनिक छोटे कारोबारी, फल, सब्जी एवं ठेले वाले शहरी बेघर आस–पास की दुकानों के चबूतरों, खुले में आश्रय लेते हैं। जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर नये शेल्टर होम के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

3.7.10.2 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नये शेल्टर होम की निर्माण परियोजना लागत रू0 287.51 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 227.51 तथा 5 वर्षो के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.7.10.3 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.10.4 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.7.10.5 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के

गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.7.10.6 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं वार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.7.10.7 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.7.10.8 शेल्टर हेतु प्रस्तावित स्थल आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्रांक 1210/आ0लि0. न0आ0–2014 दिनांक– 31.01.2015 द्वारा परियोजना अधिकारी डूडा को सम्बोधित पत्र के द्वारा नोट शीट की प्रति में स्थल चयन का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जो डी0पी0आर0 में संलग्न है।

3.7.10.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मेरठ–रोहता रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 227.51 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ड़) निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य के समय शेल्टर होम में वेन्टीलेशन की सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(च) निर्देश दिये गये कि शेल्टर होम के किचेन के ऊपर शौचालय निर्माण न कर अन्य स्थलों पर किये जायें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की लीकेज आदि की समस्या होने पर विषम परिस्थितियों से बचा जा सकता है। कार्यदायी संस्था तदनुसार डिजाइन में भी संशोधन करना सुनिश्चित करेगी।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मेरठ–रोहता रोड हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

3.7.11 मेरठ – गढ़ रोड

3.7.11.1 नगर निगम मेरठ के कमालपुर क्षेत्र के गढ़ रोड पर 100 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल बस स्टेशन से 03 किमी0 की दूरी पर उप्युक्त स्थल है।

3.7.11.2 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के समीप मेडिकल कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेज है जहां काफी संख्या में मरीज के तीमारदार, रिक्शा चालक, दैनिक छोटे कारोबारी, फल, सब्जी एवं ठेले वाले शहरी बेघर आस–पास की दुकानों के चबूतरों, खुले में आश्रय लेते हैं। जिसके दृष्टिगत उक्त स्थल पर शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

3.7.11.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नये शेल्टर होम की निर्माण परियोजना लागत रू0 288.18 लाख है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 228.18 तथा 5 वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 60.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

3.7.11.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.7.11.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रस्तावित आश्रय का लोकेशन, डिजाइन एवं लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

3.7.11.6 उक्त प्रेषित डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.7.11.7 कब्जा प्राप्त स्थल का फोटोग्राफ प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना एवं बार चार्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.7.11.8 प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो डी0पी0आर0 में लगाया जाना आवश्यक है।

3.7.11.9 शेल्टर हेतु प्रस्तावित स्थल आवंटन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्रांक 1210/आ0लि0. न0आ0–2014 दिनांक– 31.01.2015 द्वारा परियोजना अधिकारी डूडा को सम्बोधित पत्र के द्वारा नोट शीट की प्रति में स्थल चयन का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जो डी0पी0आर0 में संलग्न है।

3.7.11.10 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर निगम मेरठ–गढ़ रोड से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 228.18 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर

निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उक्त में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(घ) नगर निगम द्वारा प्रस्तावित आश्रय निर्माण के 5 वर्षों उपरान्त अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण पत्र निर्माण कार्य से पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ड़) निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य के समय शेल्टर होम में वेन्टीलेशन की सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(च) निर्देश दिये गये कि शेल्टर होम के किचेन के ऊपर शौचालय निर्माण न कर अन्य स्थलों पर किये जायें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की लीकेज आदि की समस्या होने पर विषम परिस्थितियों से बचा जा सकता है। कार्यदायी संस्था तद्नुसार डिजाइन में भी संशोधन करना सुनिश्चित करेगी।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा मेरठ–गढ़ रोड हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4

4.8.12 अलीगढ़

4.8.12.1 नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दिनांक 28.11.2014 को राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या 3357/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक– 16.12.2014 के द्वारा अलीगढ़ हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रू0 312.30 (निर्माण लागत **रू0 282.33** एवं 05 वर्षों हेतु **संचालन व्यवस्था रू0 29.97 लाख) में कराये गये Soil Investigation में भराव की मिट्‌टी मिलने के कारण उक्त स्वीकृत लागत में शेल्टर होम का निर्माण सम्भव नहीं है।**

4.8.12.2 **अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल पर भराव की मिट्‌टी मिलने के कारण लागत संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत संशोधित परियोजना लागत रू0 417.63 लाख (निर्माण लागत रू0 357.63 लाख एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 60.00 लाख) हेतु निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–**

क्र. सं.	पूर्व स्वीकृत का विवरण				संशोधित प्रस्ताव			संशोधन का कारण
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण* लागत	O&M	कुल लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3357/241/NULM/तीन 2001 (SUH) दिनांक 16.12.14 (बैठक तिथि) 28.11.14	282.33	29.97	312.30	357.63	60.00	417.63	1. Soil investigation में 6 मी0 तक भराव की मिट्‌टी पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित। 2 O&M हेतु भारत सरकार से 50 शहरी बेघरों के शेल्टर संचालन के लिए 05 वर्षों हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 30.00 लाख को अधिक संख्या वाले शेल्टर हेतु अनुपातिक आधार पर वृद्धि अनुमन्य किये जाने के कारण।

4.8.12.3 नगर निगम प्रतिनिधि अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दिनांक 28.11.2014 को राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या 3357/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक– 16.12.2014 के द्वारा अलीगढ़ हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रू0 312.30 (निर्माण लागत रू0 282.33 एवं 05 वर्षों हेतु **संचालन व्यवस्था रू0 29.97 लाख) में कराये गये Soil Investigation में भराव की मिट्‌टी मिलने के कारण उक्त स्वीकृत लागत में शेल्टर होम का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, जिसके दृष्टिगत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है।**

4.8.12.4 अवगत कराया गया कि अलीगढ़ की जनसंख्या 8.74 लाख है जिसमें 114 मलिन बस्तियां है तथा 70 वार्ड हैं। अलीगढ़ के औद्योगिक नगर होने के कारण 5506 औद्योगिक इकाईयां अलीगढ़ में है, जिसमें से 3,500 स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, 2000 मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज हैं तथा 6 बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं। उक्त इण्डस्ट्रीज मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग, ताला (लॉक इण्डस्ट्रीज) एवं हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हैं। अलीगढ़ ताला (लॉक इण्डस्ट्रीज) के लिए विख्यात है, जिसमें आस–पास के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। उक्त के साथ ही अलीगढ़ में विश्व विख्यात मुस्लिम युनिवर्सिटी के होने के कारण काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है।

4.8.12.5 विभिन्न इण्डस्ट्रीज में रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु आने वाले काफी संख्या में लोगों को आश्रय की समस्या के कारण विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, फुटपाथ, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के चबूतरों आदि पर रात गुजारना पड़ता है। आश्रय विहीन 100 शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु कस्बा कोल भोजपुरा, अलीगढ़ में नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः संशोधनोपरान्त तैयार कर प्रस्तुत है।

4.8.12.6 नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आश्रय में सभी श्रेणी (पुरूष, महिला परिवार एवं बीमार व्यक्तियों) के सभी श्रेणी के शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है।

4.8.12.7 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

4.8.12.8 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन ले आउट के साथ संक्षिप्त में अलीगढ़ शहर की प्रोफाइल, लोकेशन का विवरण, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

4.8.12.9 प्रस्ताव में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

4.8.12.10 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षों के उपरान्त नगर निगम अलीगढ़ द्वारा "इसका संचालन किया जायेगा" का उल्लेख नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संख्या– मेमो/14–15 दिनांक– 25.11.2014 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो पूर्व प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4.8.12.11 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु भूमि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संख्या– मेमो /14–15 दिनांक– 25.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "अलीगढ़ शहर के भोजपुरा पुलिस चौकी के पीछे, कस्बा कोल में शेल्टर होम के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर नगर निगम का स्वामित्व है।

4.8.12.12 शेल्टर होम निर्माण हेतु "कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है, जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा"।

4.8.12.13 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त अलीगढ़ नगर हेतु विगत दिनांक 28.11.2014 को राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या 3357/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक– 16.12.2014 के द्वारा स्वीकृत नये निर्माण की परियोजना योजना लागत रू0 312.30 (निर्माण लागत रू0 282.33 एवं 05 वर्षो हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.97 लाख) को Soil Investigation में भराव की मिट्टी मिलने के कारण उक्त स्वीकृत परियोजना को निरस्तीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के साथ ही राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा नगर निगम के अनुरोध एवं प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतीकरण के आलोक में आपसी विचार विमर्श उपरान्त अलीगढ़ नगर से प्राप्त 01 नये आश्रय निर्माण की परियोजना एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

(क). निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 357.63 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी। निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत पूर्व में SULM सूडा द्वारा अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए प्रथम किश्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था/नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/ नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व शहर मिशन प्रबंधन इकाई को संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा, जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अलीगढ़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

6 आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

6.1 प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

6.2 निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा डी0पी0आर0 (आंगणन) तैयार करने से पूर्व Soil Investigation की जांच अवश्य करा ली जाय, एवं उक्त तकनीकी जांच के आधार पर ही परियोजनाएं स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जाये ताकि स्वीकृतोपरान्त उक्त परीक्षण में लगने वाले समय से बचा जा सके, साथ ही यदि किसी स्थल पर भराई की मिट्टी आदि पायी जाती है तो उसका निराकरण प्रस्तावित डी0पी0आर0 में सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण की हस्ताक्षरित आख्या के आधार पर कारणों सहित सम्मिलित किया जाये।

6.3 कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

6.4 शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

6.5 निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

6.6 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड लाइन में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में किया जाये।

6.7 हडको प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देश दिये गये कि संचालन व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि का विस्तृत ब्रेकअप गाइडलाइन के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

6.8 निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

6.9 निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन की सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

6.10 निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन के ऊपर शौचालय निर्मित न किया जाये, साथ ही प्रस्तावित किचेन में पर्याप्त खिड़की की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

6.11 आश्रय संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही गाइडलाइन के अनुसार आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व संचालन व्यवस्था प्रबन्धन समिति का गठन, उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

6.12 निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.13 प्रत्येक शहर निकाय हेतु स्वीकृति का संक्षिप्त चार्ट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है।

6.14 निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

6.15 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

6.16 निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6.17 परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

6.18 निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।

6.19 निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एल.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक– 908 /241/NULM/सी०१/2001(SUH) दिनांक– 09/6/15

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।

9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
12. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– जालौन, झांसी, गोरखपुर, फर्रूखाबाद, एटा, कन्नौज, मेरठ, एवं अलीगढ़।
13. अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
14. नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी, गोरखपुर, मेरठ एवं अलीगढ़।
15. परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उरई–जालौन, फर्रूखाबाद, एटा, एवं कन्नौज
17. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– जालौन, झांसी, गोरखपुर, फर्रूखाबाद, एटा, कन्नौज, मेरठ एवं अलीगढ़।
18. परियोजना अधिकारी, डूडा– जालौन, झांसी, गोरखपुर, फर्रूखाबाद, एटा, कन्नौज, मेरठ, एवं अलीगढ़।
19. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Orai- Jalaun	A. Implementation of SUH Project under NULM at Orai- Jalaun Construction of New Shelter Home (G+1) with the capacity of 100 person for all type of Homeless (men, women, families, disabled and sicks) including the facilities of bedding, light, kitchen, bathroom and toilet, medical facilities, family room, handicapped toilet, fire fighting space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	224.95	168.71	56.24	89.98
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% of Rs 12.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Toal (A+B)			**284.95**	**213.71**	71.24	**89.98**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dadiyapura-Jhansi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Jhansi-Dadiyapura Construction of new shelter home (G+1) with the capacity of 100 persons Dormitories for all type of Homeless women, men, sick, disabled & families including bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom and toilet, common room for entertainment. First aid, fire fighting, cost of kitchen utensils, furniture, almirah space for storing belongings for homeless persons and internal infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	221.63	166.22	55.41	88.65
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.	-		60.00	45.00	15.00	4.80 (40% of Rs 12.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**281.63**	**211.22**	**70.41**	**88.65**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Lahar Gird-Jhansi	A. Implementation of SUH Project under NULM at Jhansi- Lahar Gird Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person dormitories for all type of Homeless (Men, Women, families, disabled and sicks) including bedding, light, kitchen, bathroom and toilet, medical facilities, family room, handicapped toilet, fire fighting space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	220.29	165.22	55.07	88.12
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home
		Total (A+B)			**280.29**	**210.22**	**70.07**	**88.12**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Lachipur Tola-Gorakhpur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Gorakhpur- Lachhipur Tola Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 70 person including seperate dormitory for men, women, and provision shelter for families and disabled person too. the acilities for bedding, drinking water, light, kitchen, toilets, common room, first aid, almirah space for storing belongings for homeless persons have been proposed and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	178.80	134.10	44.70	71.52
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 8.00 lac per year for 5 year.			40.00	30.00	10.00	3.20 (40% Rs 8.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**218.80**	**164.10**	54.70	71.52

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Farrukhabad	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Farrukhabad (G+1) with the capacity of 100 person's dormitories for homeless men, women, families, disabled sick person facilities and disabled persons including kitchen with utensils, office space for Care-taker, adequate toilets & baths facilities drinking water facility, bedding facility for 100 persons. almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	217.55	163.16	54.39	87.02
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			277.55	208.16	69.39	87.02

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction on startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kannoj	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad- Kannoj Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 persons dormitores, for men, women, disabled/sick and families, including bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom and toilet, first aid, fire fighting etc almirah Space for storing belongings for homeless and instrastructure work in the proposed premises including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	148.02	111.02	37.01	59.21
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 5.52 lac per year for 5 year.			27.60	20.70	6.90	2.208 (40% Rs 5.52 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**175.62**	**131.72**	**43.91**	**59.21**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Etah	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Palika Parishad, Etah Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 70 person including Seperate dormitory for men, women, families & sick/disabled persons along with facilities of bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom, toilets, first aid box, fire fighting etc almirah space for storing belongings for homeless and instrastructure work in the proposed premises including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	176.58	132.44	44.15	70.63
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 8.00 lac per year for 5 year.			40.00	30.00	10.00	3.20 (40% Rs 8.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**216.58**	**162.44**	**54.15**	70.63

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Mukut Mahal-Meerut	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Nigam Meerut- Mukut Mahal Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person the ground floor proposed dormitory for women handicap and their toilet and other facilities on this floor. The above floor for dormitory with facilities of bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom, toilets, first Aid Box, fire fighting infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	267.70	200.78	66.93	107.08
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**327.70**	**245.78**	**81.93**	**107.08**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction on startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Baral Partarpur-Meerut	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Nigam Meerut- Baral Partarpur Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 70 person the ground floor proposed dormitory for women handicap and their toilet and other facilities on this floor. The above floor for dormitory with facilities of Bedding, Drinking water, Light, Kitchen, Bathroom, toilets, first Aid Box, fire fighting infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	178.02	133.52	44.50	71.21
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 8.00 lac per year for 5 year.			40.00	30.00	10.00	3.20 (40% Rs 8.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**218.02**	**163.52**	**54.50**	71.21

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rohta Road-Meerut	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Nigam Meerut-Rohta Road Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person the including the facilities of bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom, toilets, first aid box, fire fighting equipment and infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	227.51	170.63	56.88	91.00
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**287.51**	**215.63**	**71.88**	**91.00**

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Garh Road-Meerut	A. Implementation of SUH Project under NULM at Nagar Nigam Meerut-Garh Road Construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person. The facilities includes bedding, drinking water, light, kitchen, bathroom, toilets, first Aid Box, fire fighting equipment infrastructure work in the proposed premises etc. including centage, labour cess as per norms.	8 Month	Jul-15	228.18	171.14	57.04	91.27
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			288.18	216.14	72.04	91.27

Annexure I

To the Minutes of 7th State Project Sanction Committee meeting dated 21-05-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Aligarh	A. Implementation of SUH Project under NULM at Aligarh - Kasba kol Bhujpura Construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 100 person including well ventilated dormitory for all type of Homeless person (men, women, family and disabled/sick) water arrangements, bathing and toilet facilities, standard lighting for shelter, adequate fire protection, first aid kit, pest and vector control, provision for regular cleaning of blankets, mattresses and sheets, and maintenance of other services, common kitchen/cooking space, necessary utensils for cooking and serving, cooking gas connection, childcare facilities for children, Almirah space for storing belongings for homeless persons and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms.	9 Month	Jul-15	357.63	268.22	89.41	143.05
		B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% Rs 12.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
		Total (A+B)			**417.63**	**313.22**	**104.41**	**143.05**